बी0एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त।

अर्द्धशा0प0सं0–सा–3–20/दस–09–101(10)/02
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
लखनऊ: दिनांक: 06 जनवरी, 2009

प्रिय महोदय,

राज्य सरकार अपने पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित किए जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या – सा–3–1644/दस–904/94, दिनॉक 02 नवम्बर, 1995, शासनादेश संख्या–सा–3–743/दस–2000–303(1)/2000, दिनॉक 03 मई, 2000, शासनादेश संख्या–सा–3–425/दस–2001–303(1)/2000, दिनॉक 23 मार्च, 2001, शासनादेश संख्या–सा–3–270/दस–2003, दिनॉक 24 फरवरी, 2003 एवं शासनादेश संख्या–सा–3–1422/दस–2008–101(10)/02, दिनॉक 18 नवम्बर, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के संबंध में पेंशन नियमों / पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली 1995 में समय – सारणी भी निर्गत की है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को ही उसका पेंशन भुगतानादेश उसे इस्तगत करा दिया जाए।

3– ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि उपरोक्त के संदर्भ में शासन द्वारा समय–समय पर उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत किए जाने के उपरान्त भी सेवानिवृत्त / मृत राजकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर यथासमय अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके कारण अधिकांश विभागों में पेंशन प्रकरण बड़ी संख्या में लम्बित है, जिसके फलस्वरूप सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों एवं उसके परिवार को समय से पेंशन भुगतान न होने से आर्थिक एवं मानसिक कष्ट सहना पड़ता है तथा राज्य सरकार की छवि धूमिल होती है तथा सेवानैवृत्तिक लाभों के विलम्ब से भुगतान होने के कारण अनावश्यक रूप से ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है।

—2/—